एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
72/2013	09.07.2013	09.04.2015

जहूर शॉ पुत्र शमशेर खॉ, फकीर निवासी बडी उदेई तह0 गंगापुर सिटी--- प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर उपपंजीयक तहसीलदार गंगापुर सिटी ---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः- श्री तरूण कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि भूमि ख0न0 3920 रकबा 69 एयर, ख0न0 3921 रकबा 77 एयर ग्राम उदेई कलॉ प्रार्थी की खरीद शुदा एवं कब्जे काश्त की भूमि है। इसका नामान्तरकरण भी प्रार्थी के नाम जहूर शाह के नाम ही खुला है। इसका जमाबंदी सं0 2049 से 2052 में इन्द्राज भी हो रहा है परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश जमाबंदी सं0 2053 से 2056 में प्रार्थी का नाम भूलवश जहूर शाह के स्थान पर लटूर शाह अंकित कर दिया है जबकि लटूर शाह नाम के किसी व्यक्ति का इस भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थी ही इस भूमि का सद्भावित खरीददार काश्तकार है। इस गलत इन्द्राज से प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड व हाल जमाबंदी में लटूर शाह के स्थान पर जहूर शाह दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किए जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलव किया गया परन्तु अप्रार्थी की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2053 से 2056, नकल जमाबंदी सं0 2049 से 2052, नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072, फोटोकोपी मतदाता पहचान पत्र, फोटोकोपी राशनकार्ड प्रस्तुत की है।

वकील प्रार्थी को सुना गया । वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थी का नाम रेकार्ड में दुरूस्त करने का निवेदन किया है।

प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी सं0 2049 से 2052 के खाता संख्या 286 में प्रार्थी का नाम जहूर शाह अंकित है। नकल जमाबंदी सं0 2053 से 2056 में जो प्रविष्टियां हैं उनमें जहूर शाह के स्थान पर लटूर शाह अंकित है। नकल जमाबंदी सं0 2069 से 2072 में भी लटूर शाह के नाम का ही इन्द्राज है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि सं0 2053 से 2056 की जो जमाबंदी बनाई गई है उसमें प्रार्थी का नाम गलती से जहूर शाह के स्थान पर लटूर शाह अंकित कर दिया गया है एवं प्रार्थी इस गलती को दुरूस्त कराने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी/ कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम उदेईकलां की जमाबंदी सं0 2069 से 2072 के खाता संख्या 251 में दर्ज प्रार्थी का नाम जहूर शाह के स्थान पर जहूर शाह दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती करने हेतु निर्णय की एक प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को पालनार्थ प्रेषित की जावे ।

पत्रावली फेसलशुमांर होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उपजिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स.मा.)